समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1846, दिनांक 10.06.2010 में निहित प्रावधान, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित मेधा सूची तथा दिनांक 24.08.2011 को चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सीधी नियुक्ति हेतु अधोलिखित अभ्यर्थियों को अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्त किया जाता है। उक्त नियोजित अभ्यर्थी जिला स्थापना शाखा, मुंगेर में पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उक्त पद पर योगदान देना सुनिश्चित करेगी।

क्र0 सं0	अभ्यर्थियों का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत कोटि	चयनित कोटि
1.	सारिका रानी	रविन्द्र प्रसाद	31.12.77	सा0–पुरबसराय (चित्रगुप्त गली) पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0 वर्ग	सामान्य
2.	अल्का सिन्हा	सुरेश कुमार वर्मा	31.05.74	पति–सुमन जी सहाय, मु0–वलीपुर पो0–जमालपुर, जिला–मुंगेर।	सामान्य	सामान्य
3.	सबिता कुमारी	सुबोध कुमार मिश्र	10.03.84	पुरानीगंज (दुर्गास्थान के सामने,) मुंगेर।	सामान्य	सामान्य
4.	गौरी रानी	जर्नादन प्रसाद सिंह	06.11.73	पति–डा0 विजय कुमार वर्मा, सा0–हेमजापुर, पो0–शिवकुण्ड, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	सामान्य
5.	अनुपमा कुमारी	विनोद कुमार	20.01.85	पति– सुजित कुमार यादव, ग्राम+पो0–शंकरपुर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	सामान्य
6.	नूतन कुमारी	कमलेश्वर प्रसाद सिंह	15.07.73	सा0–जगदीशपुर, पो0–धरहरा, मुंगेर।	पि0वर्ग	सामान्य
7.	प्रिती प्रिया	डा0 जे0पी0 मल्लिक	01.09.86	पति–पीयूष कु0 शर्मा, ग्राम–मकससपुर, पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	सामान्य	सामान्य
8.	सोनिका कुमारी	मोती प्रसाद	01.02.87	मु0–पुरबसराय (चित्रगुप्त मंदिर के पास) पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	सामान्य
9.	शिवानी कुमारी	विनय कुमार	05.02.86	मु0–माधोपुर, पो0–बासुदेवपुर, जिला–मुंगेर।	अ0पि0वर्ग	सामान्य
10.	श्रुति चौहान	सुनील कुमार सिंह	04.01.84	सा0+पो–धरहरा, जिला–मुंगेर।	सामान्य	सामान्य
11	स्मृति कुमारी सिंह	अशोक कुमार सिंह	01.04.86	सा0–बेटवन बाजार, (दुर्गास्थान के निकट) पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	सामान्य	सामान्य
12	कुमकुम कुमारी	राज बल्लभ सिंह	05.04.73	पति–शंभु शरण शर्मा, ग्राम+पो0–कहुआ, जिला–मुंगेर।	सामान्य	सामान्य
13	विनिता कुमारी	बालेश्वर प्रसाद यादव	01.03.77	ग्राम+पो0–सिंघिया, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	सामान्य
14	निकिता जयसवाल	ज्ञानेन्द्र जायसवाल	09.11.85	मु0–घोषी टोला पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	सामान्य
15	सुधा कुमारी	श्याम नारायण यादव	13.01.71	मु0–सुभाषनगर, पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	पि0वर्ग
16	माधवी साह	जगदीश साह	01.07.72	मु0–बड़ी बाजार, (पानी टंकी के पास) पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	पि0वर्ग
17	विनिता कुमारी	अनिरूद्ध यादव	15.01.85	मु0–कृष्णापुरी, पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	पि0वर्ग
18	सौम्या चिन्मयी	विपिन कुमार रंजन	31.01.84	मु0–माधोपुर, पो0–मुंगेर, जिला–मुंगेर।	पि0वर्ग	पि0वर्ग
19	ज्योति सिंह	स्व0 सरयुग प्र0 सिंह	10.07.77	मु0–जमालपुर डीह, पो0–जमालपुर, जिला–मुंगेर।	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग
20	सोनी कुमारी	नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	05.02.80	मु0–केशोपुर, पो0–जमालपुर, जिला–मुंगेर।	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग

21	प्रिया आनन्द	स्व0 शिवनंदन प्रसाद	01.02.80	ग्राम+पो0–धरहरा, जिला–मुंगेर।	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग
22	दिप्ती कुमारी	जय नारायण शर्मा	05.12.88	मु0–नया छावनी, पो0–बरियारपुर, जिला–मुंगेर।	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग
23	सरिता कुमारी	राम दयाल सिंह	05.02.79	ग्राम–आदर्शग्राम, पो0–टीकारामपुर, जिला–मुंगेर।	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग
24	रूबी कुमारी	इन्द्रदेव पासवान	02.10.87	मु0–गाँधीपुर पो0–बरियारपुर, जिला–मुंगेर।	अनु0 जाति	अनु0 जाति
25	मीनू कुमारी	राम किशुन राउत	08.01.82	मु0–केमक्खा, पो0–बासुदेवपुर, जिला–मुंगेर।	अनु0 जाति	अनु0 जाति
26	रजनी कुमारी	ओम प्रकाश रजक	06.12.88	मु0–नयागांव, डी0डी0टी0 रोड, पो0–जमालपुर, जिला–मुंगेर।	अनु0 जाति	अनु0 जाति
27	रागिनी कुमारी	रविन्द्र प्रसाद	10.06.88	मु0–सदर बाजार, पो0–जमालपुर, जिला–मुंगेर।	अनु0 जाति	अनु0 जाति
28	करूणा कुमारी	साधो बैठा	20.10.88	मु0–छोटी दौलतपुर, पो0–जमालपुर, जिला–मुंगेर।	अनु0 जाति	अनु0 जाति

उपरोक्त अभ्यर्थियों को अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन अधोलिखित शर्तो के अधीन किया जाता है।

1. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीखना अनिवार्यता होगी।
3. शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय, एवं अन्य प्रमाण पत्रों जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में चयन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. जबतक सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तबतक उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाय।
5. निर्धारित तिथि के अन्दर पद पर योगदान नहीं करने वाली अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
6. महिला पर्यवेक्षिका के पद पर योगदान के समय अनुबंध के शर्तों के बिन्दुओं पर एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा।
7. अनुबंध के अवधि एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि समाप्तिपर संतोषप्रद क्रियाकलाप एवं पद की आवश्यकता के आलोक में पुनः अनुबंध किया जा सकेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
8. अनुबंध के आधार पर नियोजित महिलाएँ सरकारी सेवक नहीं मानी जायेगी और सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा को वे हकदार नहीं होगी।
9. अनुबंध के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमिती करण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा तथा परियोजना के किसी अन्य पद पर भी कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. राजपत्रित अवकाश एवं रविवारको छोड़कर वर्ष में 12 दिनों का (सवैतनिक) आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।
11. मातृत्व अवकाश का लाभ निर्धारित वेतन की आधी राशि पर अधिकत्तम दो माह देय होगा।
12. जॉव/रिफ्रेशर प्रशिक्षण में भाग लेना एवं उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा।
13. अनुबंध के आधार पर उपरोक्त पद पर नियोजित अभ्यर्थियों को निर्धारित नियत पारिश्रमिक ₹ 12000 (बारह हजार मात्र) प्रतिमाह के दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र ₹ 40 (चालीस) के दर से यात्रा भत्ता अधिकत्तम ₹ 1000 (एक हजार मात्र) प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

— ह0 —
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 1009 /स्था0, दिनांक 10.09.2011

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों से अनुबंध के शर्तों के बिन्दुओं पर एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 10/09/11
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

दिनांक 24.08.2011 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

142/5

उपस्थिति–यथा पंजीनुसार

समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमादित मेघा सूची को प्रकाशित करने के पश्चात् अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति के निराकरण के बाद चयन समिति द्वारा अंतिम मेघा सूची का अनुमोदन दिनांक 03.03.2011 को प्रदान किया गया। तदनुसार रिक्ति के अनुरूप आरक्षण कोटिवार औपबंधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची (सीधी भर्त्ती/सेविका) अलग-अलग बनायी गयी। जिसका विवरण निम्नवत है :–

(क) सीधी भर्त्ती (औपबंधिक चयन सूची)

कोटि का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	कॉन्उसेलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी
सामान्य	16	11
पिछड़ा वर्ग	05	05
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05	05
अनुसूचित जाति	05	03

प्रतीक्षा सूची :– सीधी भर्त्ती के प्रतीक्षा सूची में कुल 31 अभ्यर्थी के विरूद्ध कॉन्उसेलिंग में 19 अभ्यर्थी उपस्थित हुए।

(ख) आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु औपबंधिक चयन सूची

कोटि का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	कॉन्उसेलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी
सामान्य	05	05
पिछड़ा वर्ग	01	01
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01	01
अनुसूचित जाति	02	02

प्रतीक्षा सूची :– आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु प्रतीक्षा सूची में 08 अभ्यर्थी के विरूद्ध 06 अभ्यर्थी कॉन्उसेलिंग में उपस्थित हुई है।

(ग) अंतिम रूप से अनुमोदित मेघा सूची (सीधी भर्त्ती/सेविका) पर विभिन्न अभ्यर्थियों से परिवाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसे चयन समिति के समक्ष रखा गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

क्र0	परिवादी का नाम	मुख्य आरोप का संक्षिप्त विवरण
1	अनिता कुमारी, पे0–दुःखी प्र0 मंडल	सुनिती सुमन पे0–महेश्वर प्र0 सिंह BC-II अंक 22 है तथा सरला कुमारी पे0–महेश्वर प्र0 सिंह का मेघा सूची में नाम नहीं था। इन दोनों का नाम औबंधिक चयन सूची में रखा गया और मेरा नाम प्रतीक्षा सूची में किया गया है।
	आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु प्रथम प्रकाशित मेघा सूची में सुनीति सुमन एवं परिवादी अनिता कुमारी का समान मेघा अंक–22 प्राप्त है तथा ये दोनों पि0वर्ग कोटि के अन्तर्गत आती है। सरला कुमारी का लिपिकीय भूलवश सीधी भर्त्ती के लिए प्रकाशित प्रथम मेघा सूची के क्रमांक BC-II 237 पर नाम अंकित था। इनके द्वारा समर्पित्त आपत्ति के पश्चात् इनका नाम आंगनबाडी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु तैयार मेघा सूची में जोड़ा गया तथा इनका भी मेघा अंक–22 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों अभ्यर्थियों का समान मेघा अंक प्राप्त होने के कारण विभागीय सकल्प ज्ञापांक 1846, दिनांक 10.06.10 के कंडिका 5 (ड) के आलोक में सामान मेघा अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा गया। कम उम्र के कारण अनिता कुमारी का स्थान मेघा सूची में नीचे आया फलस्वरूप परिवादी का स्थान औपबंधिक चयन सूची में नहीं आकर प्रतीक्षा सूची में आया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से परिवादी अनिता कुमारी का आवेदन अस्वीकृत किया गया।	

<table>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>शांति कुमारी, पे0–शिव कुमार, पति–संजीव कुमार मिश्रा</td><td>प्रथम प्रकाशित मेघा सूची में कुल प्राप्तांक 69.33 था। जब अंतिम मेघा अंक प्रकाशित किया गया, तो कुल प्राप्तांक 67.36 कर दिया गया। एक अन्य अभ्यर्थी पूजा कुमारी का औसत प्रतिशत अंक 64.6 से बढ़ाकर 69.44 कर दिया गया तथा इनके द्वारा दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रथम प्रकाशित मेघा सूची मे इंटर के प्राप्तांक में Vocational अंक के साथ प्रतिशत की गणना लिपिकीय भूलवश की गयी थी जिसे अंतिम मेघा सूची प्रकाशित करने के क्रम में सुधार कर मेघा सूची प्रकाशित किया गया इस प्रकार इनका प्राप्तांक 67.36 हो गया।
शांति कुमारी द्वारा परिवाद में उठाये गये बिन्दु के संबंध में कहना है कि प्रथम मेघा सूची में लिपिकीय भूलवश वोकेशनल अंक के साथ परिवादी का प्रतिशत निर्धारित किया गया था। जिसे अंतिम मेघा सूची प्रकाश्न के क्रम में संशोधित कर 67.36 निर्धारित किया गया।
इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही मापदंड अपनाते हुए त्रुटि पाये जाने पर सभी की जॉच कर नियमानुसार संशोधन किया गया।
परिवादी द्वारा एक अभ्यर्थी अर्थात पूजा कुमारी के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि इनका मेघा अंक 64.6 से बढ़कर 69.44 कर दिया गया तथा इनके द्वारा दावा भी नहीं दिया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पूजा कुमारी का पूर्व मे मैट्रिक के प्रतिशत का निर्धारण सकल अंक 900 पर किया गया था, परन्तु इनके द्वारा आपत्ति दाखिल करने (पंजी क्रमांक 8) के पश्चात् पाया गया कि इनका मैट्रिक में कुल सकल अंक 700 था, जिसके फलस्वरूप इनको प्रतिशत बढ़कर 69.44 हो गया। परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूजा कुमारी द्वारा दावा नहीं दिया गया है। पंजी के क्रमांक 8 से स्पष्ट है कि पूजा कुमारी द्वारा दावा दिया गया है।
समिति ने उपरोक्त तथ्य के आधार पर शांति कुमारी के परिवाद को अस्वीकृत किया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>पूजा कुमारी, गॉधी टोला रामपुर</td><td>आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति में स्नातकोतर के मूल अंक एवं बोनस अंक जोड़ने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदिका (पूजा कुमारी) का स्नातकोत्तर के मूल अंक एवं बोनस अंक जोड़ने के संबंध में परिवादी अम्बेदकर थॉट एवं सोशलवर्क में स्नातकोत्तर उत्तीण है। विभागीय मार्गदर्शिका के तहत वांछनीय अर्हता के वर्णित विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीण नहीं है। साथ ही स्नातकोत्तर के अंक को मेघा अंक में सम्मिलित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त आलोक में समिति द्वारा सर्व सम्मति से पूजा कुमारी के दावा को अस्वीकृत किया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>सुषमा कुमारी</td><td>स्नातकोत्तर (समाज शास्त्र) में उत्तीण होने के कारण बोनस अंक दिया जाय।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदिका द्वारा प्रदत डिग्री आवेदन के लिए अंतिम तिथि 03.08.10 तक प्राप्त नहीं था। इस आधार पर इनके दावा को अस्वीकृत कर दिया गया है।
इस पर समिति ने सर्व सम्मति से सुषमा कुमारी के दावा को अस्वीकृत किया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>अनिता कुमारी C/O नागेश्वर प्र0 यादव प0 आजीमगंज, ह0 खड़गपुर।</td><td>महिला पर्यवेक्षिका के मेघा सूची में नाम नहीं रहने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदिका का जन्म तिथि 05.07.1968 है तथा चयन के वर्ष 01.01.2010 को आवेदिका का उम्र 41 वर्ष से ज्यादा रहने के कारण आवेदन अस्वीकृत था। इस लिए आवेदिका (अनिता कुमारी) का नाम मेघा सूची मे नहीं आया।
समिति द्वारा परिवादी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td>पिंकी कुमारी, पे0–विष्णुदेव सिंह</td><td>प्रथम प्रकाशित मेघा सूची में प्राप्तांक 69.22 से घटकर अंतिम मेघा सूची में 67.53 दिखाया गया जिसके कारण औपबंधिक चयन सूची में मेरा चयन नहीं हुआ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदिका पिंकी कुमारी का प्रथम मेघा सूची में Vocational का अंक लिपिकीय भूलवश शामिल किया गया था। अंतिम मेघा सूची में नियमानुसार संबंधित भूल को एक मापदंड अपनाते हुए दूर किया गया। त्रुटि निराकरण के पश्चात् अंतिम मेघा सूची में इनका कुल प्राप्तांक 67.53 हो गया, जो नियमानुसार सही है। यह जॉच परिवादी की उपस्थिति में किया गया तथा आवेदिका संतुष्ट पायी गयी।
सर्व सम्मति से समिति द्वारा पिंकी कुमारी के परिवाद को अस्वीकृत किया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>अनिता कुमारी पे0–दुःखी प्रसाद मंडल</td><td>आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका चयन प्रक्रिया में कुमारी विजय लक्ष्मी एवं सरला कुमारी का गलत ढंग से चयन करने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">सरला कुमारी से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्रमांक 1 पर अंकित है जिससे स्वतः स्पष्ट है। जहाँ तक कुमारी विजय लक्ष्मी के अनुभव की जॉच का प्रश्न है इस हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी टेटिया बम्बर एवं संग्रामपुर से प्रतिवेदन मांगा गया है। साथ ही सभी सेविकाओं का भी अनुभव से संबंधित सत्यापन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से कराया जा रहा है।
अनिता कुमारी के उक्त परिवाद पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुभव से संबंधित जाँच प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात् ही सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अंतिम चयन किया जाय।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td>रेखा मिश्रा</td><td>पर्यवेक्षिका सूची में नाम होने के बावजूद अंतिम मेघा सूची में नाम हटा देने के संबंध में।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आंगनवाड़ी सेविका से संविदा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के चयन हेतु प्रथम प्रकाशित औपबंधिक मेघा सूची के सामान्य वर्ग के अन्तर्गत इन्हे 15 अंक प्राप्त था। अंतिम मेघा सूची में इनका नाम क्रमांक 22 पर कुल प्राप्तांक 15 है। आरक्षण कोटि के अनुसार कुल 10 रिक्त पदो के आलोक में सर्वाधिक मेघा अंक वाली सेविका का औपबंधिक चयन एवं प्रतिक्षा सूची में चयनित किया गया है। श्रीमति मिश्रा को कुल प्राप्तांक 15 है, जबकि सामान्य कोटि के अन्तर्गत 22 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का औपबंधिक चयन किया गया है।
समिति ने सर्व सम्मति से आवेदन अस्वीकृत किया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9.</td><td>सरिता पे0–सार्जन प्र0 यादव,</td><td>सरिता (मेघा सूची क्रमांक 160) पे0–सार्जन प्र0 यादव ने अभ्यावेदन देकर सूचित किया है कि मेरा मेघा अंक 64.12 है। गृह विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण हूँ। बोनस अंक दिये जाने का मामला है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">परिवादी के आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका गृह विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण है परन्तु इन्हें बोनस अंक नहीं मिला है। परिवादी द्वारा दिनांक 24.03.11 को आपत्ति दिया गया है। जबकि इस हेतु निर्धारित तिथि 17.02.11 था।
उक्त मामले पर चयन समिति ने बोनस अंक दिये जाने की स्वीकृत प्रदान की। तदनुसार औपबंधिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में मेघा अंक संशोधित कर जोड़ा जाय।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">साधना कुमारी, पे0–युगल प्र0 यादव का औपबंधिक चयन पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत (मेघा अंक 70.27) किया गया है। काउंसेलिंग में उपलब्ध कराये गये मैट्रिक एवं इंटर के प्राप्तांक की जॉच किया गया तो इनका प्राप्तांक 68.61 होता है। इनके औपबंधिक चयन पर निर्णय लिया जाना है।
उक्त मामले पर समिति ने निर्णय लिया कि सुश्री साधना कुमारी का औपबंधिक चयन निरस्त करते हुए परिवादी को सूचित किया जाय।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.</td><td>पूनम कुमारी भगत</td><td>परिवादी पूनम कुमारी भगत ने आवेदन के साथ मानव संसाधन विभाग के ज्ञापांक 3152, दिनांक 25.08.2008 का निर्गत पत्र उपलब्ध कराया गया जिसमें बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों के नियोजन हेतु डिग्री/उपाधियों की मान्यता समकक्षता के संबंध में उल्लेख किया गया है। तथा स्नातक हेतु अपने स्तर से पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">संविदा पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु औपबंधिक चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उपाधि वाले अभ्यर्थी सूची में अंकित संस्थान से उत्तीर्ण नहीं है।
परन्तु स्नातक उपाधि वाले अभ्यर्थी अनिता कुमारी, देवघर हिन्दी विद्यापीठ से उत्तीर्ण है।
मानव संसाधन विभाग के पत्रांक 3490, दिनांक 27.09.2008 द्वारा देवघर विद्यापीठ से प्राप्त डिग्री को अमान्य किया जाना है।
समिति का निर्णय :– अनिता कुमारी पे0–दुःखी प्र0 मंडल ने देवघर हिन्दी विद्यापीठ से स्नातक उत्तीर्ण की है। मानव संसाधन विभाग के पत्रांक 3490, दिनांक 27.09.2008 के आलोक में अनिता कुमारी के स्नातक डिग्री को अमान्य किया गया। तदनुसार इनके मेघा अंक में सम्मिलित स्नातक का बोनस अंक घटा कर मेघा अंक प्रकाशित करने का स्वीकृति प्रदान किया गया।
इस प्रकार पूर्व में अनिता कुमारी का कुल मेघा अंक 22 प्राप्त था, परन्तु स्नातक का बोनस अंक घटाने के पश्चात् उनका मेघा अंक 17 हो जाता है।</td></tr>
</table>

(घ) सीधी भर्त्ती से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु औधबंधिक रूप मे चयनित अभ्यथियों के प्रमाण पत्रों की विश्वासनीयता की जॉच संबंधित बोर्ड/विश्व विद्यालय से करायी जा रही है। कुछ संस्थानों से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है।

इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र के विश्वसनीयता की जॉच के क्रम में अधोलिखित अभ्यर्थियों के इंटर के अंक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) पटना के अभिलेख में प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत हुआ।

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	औपबंधिक चयनित कोटि
1.	मीरा लवली	भोला प्र0 चौधरी	01.03.78	सामान्य
2.	मीरा प्रज्ञा	भोला प्र0 चौधरी	18.08.77	पिछड़ा वर्ग
3	पिंकी कुमारी	दयानन्द सिंह	24.07.75	अ0पि0 वर्ग

समिति का निर्णय :– उपरोक्त तीनों अभ्यर्थियों को चयनित किया जाय। परन्तु योगदान नहीं लिया जाय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) से उक्त अभ्यथियों के सत्यापन प्रतिवेदन यदि दो माह में प्राप्त नहीं होता है तो इनका चयन रद्द कर दिया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति का निर्णय :–

1. सीधी भर्त्ती से अनुबंध के आधार पर शेष अभ्यर्थियों को महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन निम्न लिखित शर्त्तो के अधीन किये जाने की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

(I) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में उनका चयन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(II) जबतक सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तबतक चयनित अभ्यर्थियों का मानदेय का भुगतान नहीं किया जाय।

2. आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन के संबध मे औपबंधिक चयनित अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकरी से प्राप्त होने के पश्चात् ही अंतिम चयन किया जाय।

26.8.11 स्थापना उप समाहर्ता मुंगेर — 26/8/11 जिला प्रोग्राम पदा0 मुंगेर — सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा मुंगेर — असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चि0 पदा0 मुंगेर — उपविकास आयुक्त मुंगेर — 03/09/11 जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) — मनोविद (प्रतिनिधि)

ज्ञापांक 965/स्था0 दिनांक 03.09.11

प्रतिलिपि – चयन समिति के सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

3.9.11 स्थापना उप समाहर्ता मुंगेर।

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला स्थापना शाखा)

13815

समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु चयन समिति द्वारा मेधा सूची पर अन्तिम अनुमोदन के पश्चात् सीधी नियुक्ति हेतु औपबंधिक चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कान्उसेलिंग के उपरान्त अधोलिखित अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है।

क्र0 सं0	अभ्यर्थियों का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत कोटि	चयनित कोटि	कुल प्राप्तांक
1.	सारिका रानी	रविन्द्र प्रसाद	31.12.77	पि0 वर्ग	सामान्य	76.32
2.	अल्का सिन्हा	सुरेश कुमार वर्मा	31.05.74	सामान्य	सामान्य	76.04
3.	सबिता कुमारी	सुबोध कुमार मिश्र	10.03.84	सामान्य	सामान्य	74.67
4.	गौरी रानी	जर्नादन प्रसाद सिंह	06.11.73	पि0वर्ग	सामान्य	74.63
5.	अनुपमा कुमारी	विनोद कुमार	20.01.85	पि0वर्ग	सामान्य	73.53
6.	नूतन कुमारी	कमलेश्वर प्रसाद सिंह	15.07.73	पि0वर्ग	सामान्य	73.48
7.	प्रिती प्रिया	डा0 जे0पी0 मल्लिक	01.09.86	सामान्य	सामान्य	72.63
8.	सोनिका कुमारी	मोती प्रसाद	01.02.87	पि0वर्ग	सामान्य	72.44
9.	शिवानी कुमारी	विनय कुमार	05.02.86	अ0पि0वर्ग	सामान्य	72.22
10.	श्रुति चौहान	सुनील कुमार सिंह	04.01.84	सामान्य	सामान्य	71.47
11	मीरा लवली	भोला प्र0 चौधरी	01.03.78	पि0वर्ग	सामान्य	71.35
12	पिंकी कुमारी	दयानंद सिंह	24.07.75	अ0पि0 वर्ग	सामान्य	70.76
13	स्मृति कुमारी सिंह	अशोक कुमार सिंह	01.04.86	सामान्य	सामान्य	70.74
14	कुमकुम कुमारी	राज बल्लभ सिंह	05.04.73	सामान्य	सामान्य	70.41
15	विनिता कुमारी	बालेश्वर प्रसाद यादव	01.03.77	पि0वर्ग	सामान्य	70.32
16	निकिता जयसवाल	ज्ञानेन्द्र जायसवाल	09.11.85	पि0वर्ग	सामान्य	70.31
17	सुधा कुमारी	श्याम नारायण यादव	13.01.71	पि0वर्ग	पि0वर्ग	70.24
18	मीरा प्रज्ञा	भोला प्रसाद चौधरी	18.08.77	पि0वर्ग	पि0वर्ग	70.23
19	माधवी साह	जगदीश साह	01.07.72	पि0वर्ग	पि0वर्ग	69.92
20.	विनिता कुमारी	अनुरूद्ध यादव	15.01.85	पि0वर्ग	पि0वर्ग	69.53
21	सौम्या चिन्मयी	विपिन कुमार रंजन	31.01.84	पि0वर्ग	पि0वर्ग	69.27
22	ज्योति सिंह	स्व0 सरयुग प्र0 सिंह	10.07.77	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग	69.3
23	सोनी कुमारी	नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	05.02.80	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग	69.23
24	प्रिया आनन्द	स्व0 शिवनंदन प्रसाद	01.02.80	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग	69.08
25	दिप्ती कुमारी	जय नारायण शर्मा	05.12.88	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग	69.06
26	सरिता कुमारी	राम दयाल सिंह	05.02.79	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग	68.87
27	रूबी कुमारी	इन्द्रदेव पासवान	02.10.87	अनु0 जाति	अनु0 जाति	69.91
28	मीनू कुमारी	राम किशुन राउत	08.01.82	अनु0 जाति	अनु0 जाति	68.53
29	रजनी कुमारी	ओम प्रकाश रजक	06.12.88	अनु0 जाति	अनु0 जाति	65.02
30	रागिनी कुमारी	रविन्द्र प्रसाद	10.06.88	अनु0 जाति	अनु0 जाति	64.08
31	करूणा कुमारी	साधो बैठा	20.10.88	अनु0 जाति	अनु0 जाति	63.8

क्रमांक 11, 12 एवं 18 पर अंकित अभ्यर्थी क्रमशः मीरा लवली, पिंकी कुमारी एव मीरा प्रज्ञा का इटरमीडिएट प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक), पटना के अभिलेख से किया गया, जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत हुआ है। अतः उक्त अभ्यर्थियों का योगदान तत्काल विस्तृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा।

03/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।